राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः— विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 42/2023 प्रा0पत्र

अनवान

झमकू देवी पत्नि धन्नालाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी कुम्हारों की काकर कुशलपुरा तहसील भीम जिला राजसमंद।

......................प्रार्थीया

विरूद्ध

1. गंगाराम पिता मनुजी।
2. हेमराज पिता मनुजी।
3. लक्ष्मण पिता मनुजी।
   समस्त जाति कुम्हार आयु बालिग निवासीयान कुम्हारों की काकर कुशलपुरा तहसील भीम जिला राजसमंद।
4. लक्ष्मी पत्नि लक्ष्मीलाल ।
5. हितेन्द्र पिता लक्ष्मीलाल।
6. गोपाल पिता लक्ष्मीलाल।
   समस्त जाति शर्मा आयु बालिग निवासीयान बरार तहसील भीम जिला राजसमंद।
7. पर्वत सिंह पिता नंदा सिंह।
8. रघुवीर सिंह पिता नंदा सिंह।
   समस्त जाति रावत आयु बालिग निवासी फेवड़ी गुआर बरार तहसील भीम जिला राजसमंद।
9. बजरंगदास पिता नाथूदास जाति साधु आयु बालिग निवासी भोजातों का वास बरार तहसील भीम जिला राजसमंद।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील भीम जिला राजसमंद।

.... अप्रार्थीगण

उपस्थितिः—

01. प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री हितेष कुमार मेहता
02. अप्रार्थीगण की ओर से पैरोकार सरकार

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम (राजसमंद)

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम वास्ते पत्थरगढ़ी</u>

निर्णय दिनांकः— 30/10/25

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थीया की कब्जे, स्वामित्व व आधिपत्य की हाल जमाबंदी खतौनी अनुसार ग्राम धोरेला पटवार हल्का कुशलपुरा तहसील भीम जिला राजसमंद में स्थित भूमि के खाता संख्या 139 खसरा संख्या 13204 रकबा 0.2347 है0 है। मौके पर

Fhaen

विपक्षीगणों को अपनी जमीन की सीमाचिन्ह की जानकारी न होने की वजह से आये दिन पाली डमेली को लेकर अक्सर विवाद बना रहता है तथा कई बार झगड़ा भी हो जाता है इस भूमि के कोई स्थाई सीमा चिन्ह अथवा पत्थर की स्थाई दिवार बनी हुई नहीं है जिससे उक्त आराजियात की सीमा स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अतः उक्त भूमि की बाद नपती पत्थरगढ़ी हो जाती है तो भूमि की सीमाएं स्पष्ट हो जाएगी। अतः प्रार्थीया की उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी करने के बाद भी विपक्षीगण 01 ता 09 अनुपस्थित पाए गए। प्रत्युत्तर में राज्य सरकार की ओर से पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर न्यायालय को जवाब पेश किया कि उक्त वर्णित आराजी की खसरों की सीमाओं को लेकर प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण के मध्य सीमा विवाद है। वकील प्रार्थीया ने प्रकरण में बहस की जिनकी एकतरफा बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थीया ने बहस में तर्क दिए कि प्रार्थीया उक्त भूमि की खातेदार है और कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करा सकता है ग्राम धोरेला पटवार हल्का कुशलपुरा की नकल, जमाबंदी वर्ष 2077 में प्रार्थीया सह खातेदार है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम धोरेला पटवार हल्का कुशलपुरा तहसील भीम जिला राजसमंद में स्थित भूमि के खाता संख्या 139 खसरा संख्या 13204 रकबा 0.2347 है0 भूमि की पत्थरगढी करने के आदेश दिए जाते है। पालना हेतु तहसीलदार भीम को लिखा जावे कि प्रार्थीया से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करा मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी • भीम (राजसमन्द) •

सहायक कलक्टर
भीम

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द